District Registry Office,Muzaffarpur

Non Encumbrance Certificate

RTPS No.:-
030111141002104485

प्रमाण पत्र सं0 5427

श्री/श्रीमती Hi- TEch Sanjay Con. Pvt. Ltd. Ranjit Kr. ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में निर्दिष्ट संव्यवहारों और अभारों का विवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।
एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणिकाओं में दि0 01/01/1992 से दि0 29/11/2021 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है-

क्रम संख्या	कार्यालय	अंचल	मौजा/वार्ड नं0	खाता	खेसरा	रकबा	दस्तावेज का प्रकार	मूल्य	जिल्द संख्या	पृष्ट से	पृष्ट तक	वर्ष
1	Muzaffarpur	Mushahari	Islampur (347)	304	52	15 Decimal		0				

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है। निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :-

नाम Sri Ashok Kumar Tiwary
LDC Ashok Kumar Tiwary
02.12.21

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्नलिखित व्यक्ति ने की :-

नाम -Ranjeet Kumar
Lower Division Clerk
रंजीत कुमार
2/12

कार्यालय - District Registry Office, Muzaffarpur

तारीख - 02/12/2021

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
02.12.21

टिप्पणी-

1 इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रांजेक्सन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।)

2 निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बही और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेगी।

3 किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।

4 और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक- 5427 दिनांक- 02/12/2021

शाखा प्रबंधक Hi-TEch Sanjay Con. Pvt. Ltd. के पत्र दिनांक 16/11/2021 के आलोक में प्रेषित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर